Title: Demand to bring parity in the wages of rural banks with the commercial banks.

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): सभापति महोदय, ग्रामीण बैंको को समान कार्य के लिए समान वेतन राष्ट्रीय औद्योगिक पंचाट के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान कराया गया एवं भविष्य में व्यावसायिक बैंकों के वेतनमान लागू होने पर ग्रामीण बैंकों को भी वेतनमान व्यावसायिक बैंको के समतुल्य देय हो गये। इस संबंध में इलाहाबाद, केरल, कर्नाटक एवं श्रम न्यायालय, कानपुर का निर्णय भी ग्रामीण बैंकों के संबंध में आया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब ग्रामीण बैंको का वेतनमान भी व्यावसायिक बैंकों के वेतन के समान किया जाए। धन्यवाद।